भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी० ए० मिस वाद सं० 26A/2018-19

गुरुवारी तियु उर्फ गुरुवारी कुई **बनाम** सपानी सुरेन

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

18-08-18

अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 1117 दिनांक 28.06.2018 के द्वारा टी० ए० मिस वाद सं० 26A/2018–19 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता गुरुवारी तियु उर्फ गुरुवारी कुई पिता–स्व० गोपी तियु उर्फ गोपी हो, ग्राम–दुगनी, टोला–बारुडीह, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता सपानी सुरेन, पति–सोहन सिंह सुरेन, ग्राम–मुड़कुम, थाना–सरायकेला, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
दुगनी	199	506	150	0.05ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के स्वयं के नाम से नामांतरित है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहती है। बिक्रेता के पास रकवा 2.42 एकड़ भूमि है, जिसमें से 0.05 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 2.37 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जिला एवं जाति 'हो' एवं 'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.05एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।